

नागालैण्ड विश्वविद्यालय NAGALAND UNIVERSITY

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1989, क्रमांक 35 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय) (A Central University established by an Act of Parliament No.35 of 1989)

मुख्यालय : लुमामी, जिला : जुन्हेबोटो (नागालैण्ड), पिनकोड – 798627 Hqrs : Lumami, Dist. Zunheboto (Nagaland), Pin Code – 798627

वेबसाइट / Website : www.nagalanduniversity.ac.in

APPLICATION FORM FOR RE-EVALUATION OF ANSWER SCRIPT(s) उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन-प्रपत्र

(Candidates should read the rules carefully before filling up the form) (उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए)

	of the App का नाम	licant (In Block Letter	·):		•••••	••••••
2. Registration No. पंजीकरण संख्या		:				
3. Postal Address ਤਾਰ ਪੂਗ			:			
4. Partic परीक्षा क	ulars of Ex ग विवरण जिस	amination in which a मंं उपस्थित हुए:	ppeared :	•••••	••••••	
Name of Exams		Year/Semester	Roll No.	Name of College	Category, i.e. (श्रेणी)	
परीक्षा का नाम		वर्ष/छमाही	अनुक्रमांक	महाविद्यालय का नाम	Regular/Private/Repeater	
5.		~			_	
Sl. No. क्रम सं.		Subjects विषय	Paper(s) in which पेपर जिसमें	n which Re-evaluation is desired : गर जिसमें पुनर्मूल्यांकन वांछित है		Marks Obtained प्राप्तांक
1.		1411	TIVISINI	312(114114110416		ZII VII T
2.						
		riting: (Please write a		guage in which answers l लिखे गए हैं, उस भाषा में कुछ		
				3		
T		_	DECLARATION (S			
hereby de	eclare that I		nrough the rules and	nter ofregulations governing R ng upon me.		
		पुत्र/पुत्री न करने वाले नियमों और f ा मेरे लिए बाध्यकारी होगा।		एतद्द्वाः र्वक पढ़ लिया है और मैं उन	रा घोषप का पाल	गा करता/करती हूं कि मैंने ान करने का वचन देता हूं।
Date (दिन	गंक)		5	Signature of the Candida	te (उम	मीदवार के हस्ताक्षर)

VERIFICATION CERTIFICATE (सत्यापन प्रमाण-पत्र)

(To be signed by the Principal) / (प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित)

Certified that (प्रमाणित किया जाता है) –

- 1. the application of the candidate is VERIFIED in accordance to the rules provided for re-evaluation, पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार उम्मीदवार का आवेदन सत्यापित किया गया है,
- 2. the original mark-sheet of the candidate is enclosed. उम्मीदवार का मूल अंक-पत्र संलग्न है।

Date:	Seal	Head of Department/Principal
दिनांक	मुहर	विभागाध्यक्षं/प्राचार्य के हस्ताक्षर

RE-EVALUATION RULES (पनर्मल्यांकन के नियम)

- 1. Re-evaluation facility will be available to candidates who secure marks not less than 20% and not more than 60% provided the candidate applies for re-evaluation within 30 days from the date of declaration of result.
 - पुनर्मूल्यांकन की सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी जो कम से कम 20% और 60% से अधिक अंक प्राप्त नहीं करते हैं, बशर्ते उम्मीदवार परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करता है।
- 2. A candidate shall be eligible for re-evaluation only in two papers in a particular year of examinations, provided that no such request be entertained for practical papers. एक उम्मीदवार परीक्षा के एक विशेष वर्ष में केवल दो प्रश्नपत्रों में पुनर्मूल्यांकन के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि प्रायोगिक प्रश्नपत्रों के लिए इस तरह के किसी भी अनरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3. Application for re-evaluation may be done in the prescribed form accompanied by a fee of ₹ 300/- per paper (revised rate). प्नर्मुल्यांकन के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ₹ 300/- प्रति पेपर (संशोधित दर) के शुक्क के साथ किया जा सकता है।
- 4. All requests for re-evaluation shall be accompanied by: पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन-पत्र निम्न दस्तावेजों के साथ होना चाहिए:
- (a) NU challan drawn in favour of nagaland university for the amount prescribed above (four copies challan to be filled and submitted).
 उत्पर निर्धारित राशि के लिए नागालैंड विश्वविद्यालय के पक्ष में एनयू चालान (चार प्रतियां चालान भरने और जमा करने के लिए)।
- (b) The original mark-sheet issued by the university. विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंक-पत्र।
- 5. After screening the applications for re-evaluation, the answer-script will be sent to two examiners other than the ones who examined the scripts earlier. पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदनों की जांच के बाद, उत्तर-पुस्तिका उन दो परीक्षकों को भेजी जाएगी, जिन्होंने पहले उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच की थी।
- 6. Average of the three marks awarded by the examiners (including the original examiner) shall be the marks awarded after re-evaluation. परीक्षकों (मूल परीक्षक सहित) द्वारा दिए गए तीन अंकों का औसत पूनर्मुल्यांकन के बाद दिए गए अंक होंगे।
- 7. The score after re-evaluation shall supersede the earlier score provided that a candidate who was declare pass initially shall not be declared unsuccessful as a result of re-evaluation and downward revision of marks shall be limited to pass level.

 पुनर्मूल्यांकन के बाद का स्कोर पहले के स्कोर को अधिक्रमित कर देगा, बशर्ते कि एक उम्मीदवार जिसे प्रारंभ में उत्तीर्ण घोषित किया गया था, को पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप असफल घोषित नहीं किया जाएगा और अंकों का नीचे की ओर संशोधन पास स्तर तक सीमित होगा।
- 8. No retrospective benefit such as award of Gold Medal, Scholarship, Fellowship, admission, etc. shall accrue to a candidate as a result of re-evaluation. पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी उम्मीदवार को स्वर्ण पदक, छात्रवृत्ति, फैलोशिप, प्रवेश आदि जैसे पूर्वव्यापी लाभ प्राप्त नहीं होंगे।
- 9. Re-evaluation **SHALL NOT BE A TIME-BOUND PROCESS** but all effort will be made to ensure early declaration of result. प्नर्मुल्यांकन एक समयबद्ध प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन परिणाम की जल्द घोषणा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
- 10. If a score of the candidate after re-evaluation is higher by 20% or more compared to his/her original score, his/her fee shall be re-imbursed. यदि पुनर्मूल्यांकन के बाद उम्मीदवार का स्कोर उसके मूल स्कोर की तुलना में 20% या उससे अधिक है, तो उसकी फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- 11. Result of re-evaluation paper(s) and other relevant documents shall be sent to the Principal of the College through whom the form is forwarded. Marksheet shall not be issued to student(s) directly from the University Office. पुनर्मूल्यांकन पेपर (पत्रों) का परिणाम और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज कॉलेज के प्राचार्य को भेजे जाएंगे जिनके माध्यम से फॉर्म अग्रेषित किया गया है। मार्कशीट सीधे विश्वविद्यालय कार्यालय से छात्र (छात्रों) को जारी नहीं की जाएगी।
- 12. Application for Re-evaluation must be rooted through the Principal of concerned college. पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से किया जाना चाहिए।

भवदीय परीक्षा नियंत्रक नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी

Sd/-Controller of Examinations Nagaland University, Lumami